[illegible] प्रार्थी/अभिवादी पं. 2 से 5 प्रकरण हेतु समय चाहते है जो दिया जाता है पत्रावली चाहते चलनी, व प्रकरण हेतु दिनांक 11.9.19 को पेश हो।

11.9.19 पत्रावली आज पेशी वादी अधिवक्ता हाजिर। वादी अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि वादी उक्त राजस्व वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है उक्त राजस्व वाद को नोट डेस में खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया व वादी अधिवक्ता की सहमति पर मनन किया, शपथित में वादी अधिवक्ता का कथन स्वीकार कीया जाकर उक्त राजस्व वाद को नोट डेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल एकमात्र होना नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) सायला